बिजनौर पुलिस

Date:- 02-06-2022

PRESS NOTE

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दबाने वाला अभियुक्त नसीम गिरफ्तार।

दिनांक 31.05.2022 को श्रीमती रिहाना परवीन पत्नी नाजिम निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा अपनी छोटी बहन चायना (उम्र 40 वर्ष) पत्नी नसीम निवासी ग्राम मुबारकरपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध मे थाना हीमपुर दीपा पर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी।

मेरे द्वारा थाना हीमपुर दीपा पुलिस को गुमशुदा की अतिशीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चांदपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा दिनांक 01.06.2022 को गुमशुदगी में की गयी जांच के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा चांदपुर के मौहल्ला पतियापाड़ा से अभियुक्त नसीम उम्र करीब 45 वर्ष (मृतका का पति) पुत्र अनीसुद्दीन निवासी मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चायना उपरोक्त का शव जंगल ग्राम मुबारकपुर कलां में ईख के खेत में गड्ढे से बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में मृतका के भाई कालू नि0ग्राम सोतखेड़ी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 124/22 धारा 302/201 भादवि बनाम 1.नसीम व 2.अतीक पुत्रगण अनीसुद्दीन, 3.रजिया परवीन (नसीम की पहली पत्नी) आदि निवासीगण ग्राम मुबारकरपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर पंजीकृत किया किसी गुमनाम व्यक्ति द्वारा मृतका की बहन रिहाना परवीन उपरोक्त के घर पर एक गिफ्ट पैक में एक कागज लिखा हुआ था, जिसमें नसीम, अतीक व रजिया परवीन द्वारा चायना की हत्या कर उसका शव ईख के खेत में छिपाने की बात लिखी हुई थी। उक्त गिफ्ट की बरामदगी व पुलिस द्वारा की गयी छानबीन के आधार पर पुलिस द्वारा अभि0 नसीम उपरोक्त से सख्ती से पूछताछ करने पर घटना का सफल अनावरण हुआ है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त नसीम द्वारा पूछताछ में बताया कि चायना उसकी दूसरी पत्नी है, जिससे उसने करीब 11 वर्ष पूर्व निकाह किया था, जोकि शादीशुदा थी। चायना से उसका एक पुत्र अर्श उम्र 09 वर्ष है एवं दूसरी पत्नी रजिया परवीन से उसके 06 बच्चे (04 लडकी व 02 लडके) है। चायना अधिकांश अपने बेटे अर्श के साथ पहाडगंज, दिल्ली मे किराये के मकान में रहती थी तथा वह भी वहीं रहता था एवं उसकी पहली पत्नी रजिया परवीन ग्राम मुबारकरपुरकलां में रहती है। चायना उसके साथ हमेशा के लिये दिल्ली में रहना चाहती थी तथा वह अपनी पहली पत्नी रजिया परवीन के साथ गांव मुबारकरपुर कलां में रहना चाहता था। इसी को लेकर चायना उसके साथ दिल्ली से फोन पर तथा गांव में लडाई-झगडा करती रहती थी, जिस कारण घर में क्लेश रहता था। चायना अपनी मर्जी से दिल्ली आती जाती रहती थी तथा वह उसे दिल्ली मे रहने के लिये मना करता था, किन्तु वह मानती नही थी। कुछ समय से वह अपनी पहली पत्नी रजिया परवीन की बड़ी पुत्री के इलाज के लिये गांव में ही रह रहा था तथा चायना उसके उपर दिल्ली चलने के लिये दबाव बना रही थी । दिनांक 04.05.2019 को चायना द्वारा नसीम उपरोक्त के विरूद्ध थाना हीमपुर दीपा मु0अ0सं0 98/2019 धारा 326ए,323 भादवि व दिनांक 01.04.2022 को मु0अ0स0 76/22 धारा 323,313 भादवि पंजीकृत कराया था।

दिनांक 26.05.2022 की रात्रि में वह अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था तभी चायना उसके साथ दिल्ली चलने को लेकर उसके साथ झगड़ा करने लगी, उसने गुस्से मे आकर चायना की गला दबाकर हत्या कर दी तथा पहचान छिपाने के लिये शव को अपने भाई अतीक तथा रजिया परवीन की मदद से बुग्गी मे डालकर गांव के बाहर अपने ईख के खेत मे ले जाकर गड्ढा खोदकर दबा दिया तथा पकड़े जाने के डर से दिल्ली भाग गया था। दिनांक 01.06.2022 को वह दिल्ली से वापस आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

नसीम उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र अनीसुद्दीन निवासी ग्राम मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नसीम उपरोक्तः -

मु0अ0स0 166/2017 धारा 147,323,427 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

मु0अ0स0 117/2019 धारा 452,323,325,504 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

मु0अ0स0 98/2019 धारा 326ए,323 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

मु0अ0सं0 76/22 धारा 323,313 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

मु0अ0सं0 124/22 धारा 302/201 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः -

थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार

उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार

कां0 1822 रवि शर्मा

का0 1707 विशाल त्यागी

<u>थाना नूरपुर पुलिस द्वारा घटना के 24 घण्टे के अन्दर चोरी की मोटर साईकिल सहित, शातिर चोर, चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार।</u>

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी चॉदपुर के कुशल नेतृत्व में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा आज

दिनॉक 02.06.2022 को मुखविर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पर नहटौर चौराहा कस्बा नूरपुर से घेराबन्दी कर अभियुक्त शान मौहम्मद पुत्र नसीम नि0 ग्राम छोटा नूरपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को चोरी की मोटर साईकिल स्पैन्डर प्लस यूपी 20 बीएन 1822 व 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। चाकू नाजायज बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0–238/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया वह भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोटर साईकिल चोरी कर दूर ले जाकर सस्ते दामों में बेंच देता है। अभियुक्त शान मौहम्मद द्वारा ही दिनॉक 01.05.2022 को ही पीएनबी बैंक के सामने से उपरोक्त हीरो स्पैन्डर प्लस यूपी 20 बीएन 1822 को चोरी किया था। (जिसके सम्बनध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0–236/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है) इसको दूर ले जाकर बेंचने के लिये ले जा रहे थे। <u>थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकरण के 24 घण्टे के अन्दर अभियुक्त को गिरफ्तार व चोरी की मो0सा0को बरामद कर लिया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है इससे विरूद्ध पूर्व में चोरी के मुकदमों में जेल जा चुका है।</u>

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

शान मौहम्मद पुत्र नसीम नि0 ग्राम छोटा नूरपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

<u>बरामदगीः–</u>

1– चोरी की मोटर साईकिल हीरो स्पैन्डर प्लस यूपी 20 बीएन 1822

2– 01 चाकू नाजायज

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त शान मौहम्मद उपरोक्त –</u>

1–म0अ0सं0–236/22 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2–मु0अ0सं0 238/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3–मु0अ0सं0 349/16 धारा 411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना नहटौर,बिजनौर

4–म0अ0स0 309/17 धारा 411/413/414 भादवि थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

5–म0अ0सं0 69/17 धारा 379 भादवि थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

6–मु0अ0सं0 447/16 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

7–मु0अ0सं0 735/16 धारा 379/411 भादवि थाना को0 शहर जनपद

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी टीम का विवरणः–</u>

1–उ0नि0श्री रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर

2–का0 404 मान सिंह थाना नूरपुर

3–का0 1516 राहुल कुमार थाना नूरपुर

थाना किरतपुरः- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरशद पुत्र मोहम्मद इरशाद निवासी मोहल्ला अंसार यान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना किरतपुरः- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त जाहिद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मोहल्ला अहमद खेल थाना किरतपुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हल्दौरः- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1- हरपाल पुत्र अतर सिंह निवासी कुकड़ा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2- उदय पाल पुत्र केसा सिंह निवासी नांगल जाट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- गजेंद्र पुत्र ऋषिपाल 2- हरिओम पुत्र ऋषिपाल निवासी गण ग्राम आबिदनगर उर्फ धुंधली को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

1090

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना स्योहारा:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिंकजा कसा गया।

थाना मंडावरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना रेहडः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना नजीबाबादः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना कोतवाली शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना धामपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना मंडावली:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।